संख्या-26/2019/266/26-3-2019

प्रेषक,

धीरज कुमार,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 28 जनवरी 2019

विषयः **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सोनहा जनपद-खीरी परिसर में अतिरिक्त छात्रावास कक्षों के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-241/2018/3849/26-3-2018, दिनांक-17.12.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, सोनहा जनपद-लखीमपुर खीरी में अतिरिक्त छात्रावास कक्ष तथा टीन शेड का अतिरिक्त डायनिंग हॉल बनाये जाने हेतु कुल आगणित लागत रू0-45.55 लाख से निर्माण कार्य कराये जाने की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये कार्यदायी संस्था के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ (सी0एल0डी0एफ0) नामित किया गया था।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक्विचारोपरांत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, सोनहा जनपद-लखीमपुर खीरी में अतिरिक्त छात्रावास कक्ष तथा टीन शेड का अतिरिक्त डायनिंग हॉल बनाये जाने हेतु पूर्व में नामित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ (सी0एल0डी0एफ0) के स्थान पर उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ (यू0पी0पी0सी0एल0) को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- शासनादेश संख्या-241/2018/3849/26-3-2018, दिनांक-17.12.2018 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

धीरज कुमार
विशेष सचिव

पृ.संख्या-26/2019/266/26-3-2019 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
3. प्रबंध निदेशक, यू0पी0 सिडको, लखनऊ।
4. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
5. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
6. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-19/2018/बी-2-1143/दस-2018, दिनांक-17.12.2018 के संदर्भ में।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखीमपुर-खीरी।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।